[2020] 10 एस. सी. आर. 1043

एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड

वी.

केंद्रीय आयोग के आयुक्त

(2008 की सिविल अपील सं. 7157)

1 सितंबर, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - एस. 3 अपीलार्थी, एक 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) कटे हुए फूलों और फूलों की कलियों के उत्पादन में लगी हुई थी-100% ईओयू है

इसके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का निर्यात करने की आवश्यकता थी और निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उपयोग किए जाने वाले आयातित आदानों पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, दिनांक 03.06.1994 की छूट अधिसूचना के तहत उक्त अधिसूचना के तहत,

घरेलू बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था-इसके बाद इसमें संशोधन किया गया अधिसूचना दिनांक 18.05.2001, जिसके द्वारा गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में सीमा शुल्क इसके लिए उपयोग किए जाने वाले निवेशों पर लागू हो गया।

उत्पादन, विनिर्माण या पैकेजिंग, जैसे कि कोई छूट अधिसूचना नहीं थी-EXIM नीति 1997-2002

बशर्ते कि पुष्प कृषि क्षेत्र में एक 100% ई. ओ. यू. को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी. टी. ए.) में अपनी उपज का 50 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि 20 प्रतिशत की सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय प्राप्त की जा सके और विकास आयुक्त की मंजूरी पर-अपीलकर्ता ने विकास आयुक्त की मंजूरी प्राप्त किए बिना और आवश्यक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय बनाए रखे बिना EXIM नीति का उल्लंघन करते हुए 1998-99 से 2000-01 के दौरान डी. टी. ए. बिक्री की-हालाँकि, अपीलकर्ता ने बाद में विकास आयुक्त से पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी मांगी-अतिरिक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने एक कारण दर्शाने का नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी द्वारा एक्जिम नीति के उल्लंघन में की गई डी. टी. ए. बिक्री के लिए सीमा शुल्क, ब्याज और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, वह भी छूट के तहत छूट का लाभ उठाने के बाद।

अधिसूचना-अतिरिक्त आयुक्त ने शो का फैसला किया

कारण सूचना और अभिनिर्धारित किया कि डी. टी. ए. की बिक्री बिना किए की गई थी

अनुमति और एक्जिम नीति के उल्लंघन में और इसलिए, उक्त बिक्री के लिए अपीलार्थी पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है-आयुक्त के समक्ष अपील असफल रही थी-आगे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील करते हुए, नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश की पुष्टि की गई-सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रश्न तैयार किएः (i) क्या भारत में उत्पादित और ई. ओ. यू. द्वारा डी. टी. ए. में बेची जाने वाली गैर-उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है? ; और (ii) क्या आई. डी. 1 दिनांकित संशोधन अधिसूचना, जो निवेश पर शुल्क के निर्धारण के मानदंडों में संशोधन करने के लिए अभिप्रेत है, इसके अनुप्रयोग में संभावित या पूर्वव्यापी है? - आयोजित किया गयाः एक्जिम नीति की शर्तों के अनुरूप की गई उत्पाद शुल्क से संबंधित डी. टी. ए. की बिक्री उत्पाद शुल्क के लिए अपेक्षित है, लेकिन एक बार जब यह हो जाता है तो

एक्जिम नीति की शर्तों (शर्तों) का उल्लंघन, चाहे उत्पादित माल उत्पाद शुल्क योग्य हो या गैर-कर योग्य, छूट अधिसूचना के तहत लाभ उपलब्ध नहीं है-ऐसी स्थिति में, वही सामान सीमा शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा जैसे कि आयातित माल हो-इसलिए, वर्तमान मामले में गैर-कर योग्य सामान (कटे हुए फूल) से संबंधित मांग 1962 के अधिनियम के तहत आयातित निवेश पर सही तरीके से की गई है। एक्जिम नीति में शर्तों का उल्लंघन करते हुए डी. टी. ए. में बेचे गए सामान का उत्पादन-जहां तक संशोधन अधिसूचना का संबंध है, यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि सभी कानूनों को संभावित रूप से लागू माना जाता है जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए निर्दिष्ट न हो।

पूर्वव्यापी रूप से या विधायिका द्वारा ऐसा करने का इरादा-एक कानून के अनुप्रयोग के लिए एक आवश्यक आवश्यकता पूर्वव्यापी रूप से यह दिखाने के लिए है कि पिछले कानून में कोई चूक या अस्पष्टता थी या इसका उद्देश्य पहले के अधिनियम की व्याख्या करना था उपरोक्त अवयवों के अभाव में, एक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं माना जा सकता है-तत्काल मामले में, संशोधन

अधिसूचना स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की नहीं थी-इसके अलावा, संशोधन के आवेदन की तारीख के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को अनिवार्य रूप से राज्य के पक्ष में समझा जाना चाहिए, जब तक कि न्यायिक रूप से स्वीकार्य मापदंडों द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया जाता है-इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सीमा शुल्क के लेवी को उचित रूप से बरकरार रखा है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः क्या भारत में उत्पादित और ई. ओ. यू. द्वारा डी. टी. ए. में बेची जाने वाली गैर-उत्पादनीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है?

1. एक्जिम नीति की शर्तों के अनुरूप की गई उत्पाद शुल्क से संबंधित डी. टी. ए. की बिक्री उत्पाद शुल्क के लिए अपेक्षित है, लेकिन एक बार एक्जिम नीति की शर्तों का उल्लंघन हो जाने पर, चाहे उत्पादित माल एम/एस हो।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त

कर योग्य या गैर-कर योग्य, छूट अधिसूचना के तहत लाभ उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, बहुत सामान सीमा शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा जैसे कि आयातित माल हो। [पैरा 15] [1062-डी]

2. वर्तमान मामले में, अधिसूचना में निवेश के आयात पर छूट का प्रावधान है और साथ ही छूट का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करने का भी प्रावधान है।

अधिसूचना में आगे उस दर को निर्धारित किया गया है जिस पर डी. टी. ए. में बेचे जाने वाले गैर-उत्पादनीय सामानों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क लगाया जाना है। इस प्रकार, अधिसूचना, धारा 25 के तहत प्रत्यायोजित कानून के प्रयोग में जारी की गई है 1962 के अधिनियम को "किसी अन्य कानून" के रूप में समझना होगा। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाते हुए,

अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर पर आयातित निवेश पर सीमा शुल्क से बचा नहीं जा सकता है। [पैरा 17] [1063-बी-सी]

3. कारण दर्शाओ नोटिस में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने "जीवित गुलाब के पौधों" जैसे कच्चे माल और उर्वरकों और रोपण सामग्री जैसी उपभोग्य सामग्रियों का आयात किया, हालांकि, अपीलकर्ता ने सलाह दी कि वह अपने तर्क को "फूलों को काटने" तक सीमित रखे, जैसा कि तर्क दिया गया है, जो भारतीय भूमि पर उगाए गए थे और इस प्रकार उपयुक्त नहीं थे।

सीमा शुल्क के लिए। हालांकि, कारणदर्शक सूचना में कटे हुए फूलों को आयातित माना गया "माना" करने की मांग केवल आयातित आदानों पर सीमा शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी और घरेलू रूप से उगाए गए कटे हुए फूलों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया था। [पैरा 18] [1063-डी-ई]

4. एक प्राथमिकता, वर्तमान मामले में मांग, से संबंधित

एक्जिम नीति में शर्तों का उल्लंघन करते हुए डी. टी. ए. में बेचा जाता है। [पैरा 20] [1064-सी]
5. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में, वर्तमान अधिसूचना भी 1944 के अधिनियम की धारा 3 का सहारा लेती है, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 03.06.1994 से देखा जा सकता है। जबकि, 1962 के अधिनियम के प्रावधान केवल तभी लागू किए जाते हैं जब माल गैर-उत्पाद शुल्क योग्य होता है। वर्तमान मामले में, चूंकि कटे हुए फूल गैर-उत्पाद शुल्क वाली वस्तुएं हैं, इसलिए सीमा शुल्क के भुगतान की मांग [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा उचित रूप से की गई थी।

1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण दस्सो नोटिस। [पैरा 22] [1064-ई-एफ]

क्या दिनांक 18.05.2001 की संशोधित अधिसूचना के संदर्भ में संशोधन, मानदंडों में संशोधन करने के लिए अभिप्रेत है

निवेश पर शुल्क का निर्धारण, संभावित या पूर्वव्यापी है

इसके आवेदन में?

6. संशोधित अधिसूचना में ऐसा करने का प्रावधान है

गैर-उत्पाद शुल्क वस्तुओं के मामले में उपयोग किए जाने वाले निवेश के प्रभार खंड में संशोधन और प्रतिस्थापन। अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं देती है कि क्या

किए गए संशोधनों को संभावित रूप से लागू करना था या

पीछे की ओर। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि सभी कानूनों को संभावित रूप से लागू माना जाता है जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाता है या विधायिका द्वारा ऐसा करने का इरादा नहीं है। उत्तरार्द्ध आवश्यक निहितार्थ का मामला होगा और इसका अनुमान हल्के में नहीं लगाया जा सकता है। [पैरा 24] [1066-ए-बी] 7. 1944 के अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान में प्रावधान है कि डी. टी. ए. बिक्री करने वाले ई. ओ. यू. से शुल्क लिया जाएगा।

मानो माल भारत में आयात किया गया हो और उसका मूल्य उस पर लगने वाले सीमा शुल्क के बराबर हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त प्रावधान केवल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामलों में लागू होता है, लेकिन गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए इसके तहत समान शुल्क का प्रावधान करने वाली छूट अधिसूचना को उत्पाद शुल्क योग्य और गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में शुल्क के बराबर करने के लिए बनाया गया समझा जा सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त प्रावधान एक त्रुटि नहीं थी जो सामने आई थी, बल्कि सरकार द्वारा जानबूझकर शुल्क दर निर्धारित करने के लिए पेश की गई थी। यह कि संशोधन से पहले की स्थिति होने के कारण, लाए गए संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 28] [1069-सी-ई]

8. वाटिका टाउनशिप में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पूर्वव्यापीता से संबंधित सिद्धांत का विश्लेषण किया है। यह बनाया गया था।

यह स्पष्ट करना कि किसी विधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता यह दिखाना है कि पिछले विधान में कोई चूक या अस्पष्टता थी या इसका उद्देश्य पहले की व्याख्या करना था।

अभिनय करें। उपरोक्त अवयवों के अभाव में, एक कानून नहीं हो सकता है

पूर्वव्यापी प्रभाव माना जाता है। [पैरा 30] [1069-जी; 1071 डी] एम/एस।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त

9. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का विज्ञापन करना यहां प्रासंगिक है। बनाम हरि चंद श्री गोपाल और अन्य, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छूट खंड का कड़ाई से अर्थ उसमें प्रयुक्त भाषा के अनुसार लगाया जाना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता के मामले में, लाभ राज्य को जाना चाहिए। वर्तमान मामले में पूर्व उद्धृत उक्ति को लागू करते हुए, अपीलकर्ता उक्त अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए, एक्जिम नीति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था; और ऐसा करने में विफलता, उन्हें इस तरह से दी गई छूट से वंचित करेगी। इसके अलावा, चूंकि छूट अधिसूचना के तहत निर्धारित शुल्क दर के तहत है

प्रश्न, आवेदन की तारीख के संबंध में कोई अस्पष्टता

10. अपीलार्थी का अगला तर्क यह है कि 1962 के अधिनियम की धारा 28 को सीमा बढ़ाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से कोई जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन नहीं किया गया था। वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में, अपीलार्थी को एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसने शुल्क के भुगतान से बचने के लिए कटे हुए फूलों की डी. टी. ए. बिक्री को दबा दिया था। यदि अपीलार्थी को सद्भावना से विश्वास होता कि कटे हुए फूलों की डी. टी. ए. बिक्री पर कोई शुल्क देय नहीं है, तो उसने विकास आयुक्त से पूर्व अनुमोदन माँगा होता, जो वह करने में विफल रहा। यहां तक कि पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की मांग करने वाले पत्र में भी, अपीलकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने आयातित हरित गृह उपकरण, जीवित गुलाब के पौधों जैसे कच्चे माल और रोपण सामग्री और उर्वरकों जैसी उपभोग्य सामग्रियों के बावजूद डी. टी. ए. में बेचे जाने वाले फूलों को उगाने में किसी भी आयातित निवेश जैसे उर्वरक, पादप विकास विनियमों आदि का उपयोग नहीं किया है। इसलिए, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा दमन "जानबूझकर" किया गया था। इसके विपरीत साबित करने का भार अपीलार्थी पर था, जिसे अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहा कि आयातित निवेश का उपयोग डी. टी. ए. में बेचे गए कटे हुए फूलों के उत्पादन में नहीं किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए अधिकारियों ने 1962 के अधिनियम की धारा 28 और संबद्ध प्रावधानों को उचित रूप से लागू किया है। [पारस 33 और 34] [1073-डी, एफ-एच; 1074-ए] [2020] 10 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली

वी. वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1:

[2014] 12 एस. सी. आर. 1037; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

नई दिल्ली बनाम. हरि चंद श्री गोपाल और अन्य। (2011) 1

एससीसी 236: [2010] 13 एस. सी. आर. 820-अनुसरण किया गया।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. इंडसइंड बैंक लिमिटेड और एएनआर। (2016) 9 एससीसी 720: [2016] 11 एस. सी. आर. 700-निर्भर।

ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। (2004) 8 एससीसी 1

: [2004] 3 पूरक। एससीआर 400-लागू नहीं होता है।

यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड v. केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, रायपुर (2013) 9 एस. सी. सी. 753: [2013] 3 एससीआर 27 - संदर्भित किया गया।

कॉस्को ब्लॉसम प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी। सीमा शुल्क आयुक्त,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बनाम। सुरेश सिंथेटिक्स 2007 (216) ईएलटी 662 (एससी)-लागू नहीं होता है।

विक्रम इस्पात बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

मुंबई-III 2000 (120) ईएलटी 800 (न्यायाधिकरण-एलबी)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एससीआर 1037

पीछा किया।

पैरा

7

[2004] 3 पूरक। एससीआर 400

अप्रयोज्य

पैरा

7

पैरा 7

2007 (216) ईएलटी 662 (एससी)

अप्रयोज्य

[2013] 3 एससीआर 27

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[2016] 11 एससीआर 700

उस पर भरोसा करें

पैरा

7

[2010] 13 एससीआर 820

पीछा किया।

पैरा

32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2008 से।

क्यूस के 17.07.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, 2008 की सीमा शुल्क अपील संख्या 9 में नई।

अशोक के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, सुश्री पान

श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री वास्वी एन एम/एस।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयोग के आयुक्त

सुश्री रेखा पांडे, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील अंतिम आदेश सं. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय द्वारा पारित सी/203/08 दिनांक 17.7.2008

2008 की सीमा शुल्क अपील संख्या 9 में न्यायाधिकरण 1, जिसके तहत घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र 2 के भीतर कटे हुए फूलों की बिक्री पर अपीलार्थी पर लगाए गए सीमा शुल्क की पुष्टि न्यायाधिकरण द्वारा की गई थी। 2. वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि अपीलार्थी-एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड एक 100% निर्यात उन्मुख इकाई 3 है और सभी के कटे हुए फूलों और फूलों की कलियों के उत्पादन में लगी हुई है।

सीमा शुल्क लगाने पर निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति के अनुसार और अन्य निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, घरेलू बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर भी सीमा शुल्क लगाया गया था। विकास आयुक्त द्वारा। अर्थात्, उत्पाद शुल्क के भुगतान पर और गैर-उत्पाद शुल्क वस्तुओं के मामले में, ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेशों पर सीमा शुल्क का भुगतान सीमा शुल्क की दर के बराबर दर पर किया जाता है जो ऐसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दर के बराबर होती, यदि ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता। उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 56/01-क्यूस दिनांक 18.5.20015 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा गैर-कर योग्य वस्तुओं के मामले में सीमा शुल्क के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है।

उत्पादन, विनिर्माण या पैकेजिंग, जैसे कि कोई छूट अधिसूचना नहीं थी। इस संशोधन का प्रभाव यह था कि छूट अधिसूचना के तहत अंतिम वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर दर पर लगाए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क अब था।

निवेश के लिए निर्दिष्ट दर पर प्रभार्य।

1 संक्षेप में, "CESTAT"

2 संक्षेप में, "डीटीए"

3 संक्षेप में, "ईओयू" 4 संक्षेप में, छूट अधिसूचना "5 संक्षेप में", संशोधन अधिसूचना "[2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. एक्जिम नीति 1997-2002 में प्रावधान किया गया था कि फूलों की खेती के क्षेत्र में एक 100% ईओयू को डीटीए में अपनी उपज का 50 प्रतिशत बेचने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि 20 प्रतिशत की सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय प्राप्त हो और विकास आयुक्त की मंजूरी पर। अपीलार्थी, विकास आयुक्त की मंजूरी प्राप्त किए बिना और बिना अपेक्षित शुद्ध विदेशी मुद्रा आय को बनाए रखते हुए, एक्जिम नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, डी. टी. ए. की बिक्री Rs.38,40,537/- तक 1998-99 से 2000-01 (दिसंबर 2000 तक) की सीमा तक की गई। विशेष रूप से, अपीलार्थी ने बाद में पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की मांग की

विकास आयुक्त ने 6.2.2001 दिनांकित पत्र का उपयोग किया। 4. इस बीच, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ-I ने अपीलार्थी को कारण बताने के लिए 16.3.2001 दिनांकित एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी द्वारा EXIM नीति के उल्लंघन में की गई DTA बिक्री के लिए सीमा शुल्क, ब्याज और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, वह भी ग्रीन हाउस उपकरण, जीवित गुलाब संयंत्र जैसे कच्चे माल और रोपण सामग्री और उर्वरकों जैसी उपभोग्य सामग्रियों के आयात पर छूट अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के बाद। सुनवाई के अवसर के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त ने कारण दर्शाओ नोटिस का फैसला किया और कहा कि डी. टी. ए. की बिक्री विकास आयुक्त की अनुमति के बिना और एक्जिम नीति के उल्लंघन में की गई थी और इसलिए, उक्त बिक्री के लिए अपीलकर्ता पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने जानबूझकर तथ्यों को दबा दिया था और इस प्रकार सीमा शुल्क की धारा 28

वर्तमान मामले में अधिनियम, 19626 लागू किया गया था। अतिरिक्त द्वारा पारित आदेश-इन-मूल दिनांक 18.10.2001 का प्रासंगिक उद्धरण

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ-I ने उपरोक्त निष्कर्षों पर यहाँ पुनः प्रस्तुत किया हैः

" 3.1 मैंने पाया कि पार्टी ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था और "लाइव रोज़ प्लांट्स" जैसे कच्चे माल का भी आयात किया था और "उर्वरक और रोपण सामग्री" जैसे उपभोग्य

1996-97 2000-2001 तक और आगे जो उन्होंने बनाया

बिना घरेलू शुल्क क्षेत्र की बिक्री के लिए मंजूरी

सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना

बात है। अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया कि कोई भी डी. टी. ए. बिक्री करने से पहले यह आवश्यक था कि 20 प्रतिशत सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (एन. एफ. ई. पी.) प्राप्त की गई हो अर्थात निर्यात का वार्षिक मूल्य 20 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

" संक्षेप में, "द 1962 एक्ट" एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संबंधित वर्ष के दौरान कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के आयात का रु. 2,42,37,400/= (+) वार्षिक मूल्य और उक्त सूचना प्राप्तकर्ता ने केवल 92,000/= मूल्य के फूलों का निर्यात किया था जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वार्षिक मूल्य से काफी कम हैं।

3.2 मुझे यह भी पता चलता है कि सरकार द्वारा जारी अनुमोदन पत्र संख्या 119 (1994) ई. ओ. बी./34/94 दिनांक 04.5.94 की शर्त के अनुसार। भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवीय, एम. यू. सी. सी. अनुभाग, नई दिल्ली, मेसर्स की बंधन अवधि। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड को 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके दौरान उन्हें देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा में योगदान करने वाले आयात और अन्य कारकों के अलावा 62 प्रतिशत मूल्यवर्धन प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अनुमोदन पत्र की विशिष्ट शर्त के अनुसार, पार्टी को अपने सभी उत्पादन भारत से बाहर निर्यात करने की आवश्यकता थी

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमेय सीमा के अधीन (इसमें बाद में डी. टी. ए. बिक्री के रूप में संदर्भित) और वह भी, विकास आयुक्त से विशिष्ट अनुमति के बाद

3.3 इसलिए, निर्यात आयात नीति 1997-2002 के उपरोक्त कानूनी प्रावधानों को देखते हुए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि डी. टी. ए. बिक्री पात्रता अर्जित करने के लिए ई. ओ. यू. को निर्यात दायित्वों को पूरा करना चाहिएः अनुमोदन पत्र में निर्धारित और एक सकारात्मक एन. एफ. ई. पी. भी होना चाहिए जो पुष्प कृषि इकाइयों के मामले में 20 प्रतिशत है।

3.4 .... निर्यात आयात के अनुच्छेद 3 से 9 तक के नोट के अनुसार

नीति, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आयातित पूंजीगत वस्तुओं का वार्षिक मूल्य (यानी पूंजीगत वस्तुओं के कुल आयात का पांचवां हिस्सा) Rs.12,11,87,000/- रुपये में आता है. 2,42,37,400/-। इसलिए, कोई भी डी. टी. ए. बिक्री करने से पहले यह आवश्यक था कि 20 प्रतिशत सकारात्मक एन. एफ. ई. पी. हासिल किया गया हो अर्थात निर्यात का वार्षिक मूल्य होना चाहिए।

संबंधित वर्ष के दौरान कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के आयात का वार्षिक मूल्य 400 रुपये से 20 प्रतिशत अधिक रहा है, जबकि संचालन के बाद के सभी चार वर्षों में इस इकाई ने 400 रुपये मूल्य के फूलों का निर्यात किया है। 91.92 केवल वे लाख जो अच्छी तरह से [2020] 10 एस. सी. आर. हैं।

3.5 इसके अलावा, ई. ओ. यू. द्वारा डी. टी. ए. में वस्तुओं की बिक्री के लिए दिशानिर्देश प्रक्रिया पुस्तिका, निर्यात आयात नीति 1997-2002 के परिशिष्ट 42 में निर्धारित किए गए हैं। उक्त परिशिष्ट 42 का पैरा (च) इस प्रकार हैः डी. टी. ए. बिक्री के लिए एक आवेदन के साथ एक विवरण होगा जो उत्पादित माल के पूर्व-कारखाने मूल्य (अस्वीकृतियों को छोड़कर) और वास्तव में निर्यात किए गए माल के पूर्व-कारखाने मूल्य को दर्शाता है। विवरण को एक स्वतंत्र लागत/चार्टर्ड/लागत और कार्य लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और इकाई पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा समर्थित किया जाएगा। विकास संबंधित ई. पी. जेड. के आयुक्त मूल्य के संदर्भ में स्वीकार्य डी. टी. ए. बिक्री की सीमा निर्धारित करेंगे और डी. टी. ए. में बिक्री के लिए मूल्य और मात्रा के संदर्भ में माल हटाने का प्राधिकरण जारी करेंगे। " हालांकि वर्तमान मामले में अभिलेखों के अनुसार, पक्ष इस विभाग को एक ही आवेदन के साथ-साथ अनुमति, यदि कोई हो, देने में विफल रहा और प्रक्रिया पुस्तिका, निर्यात आयात नीति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

1997-2002 .

3.6 उपरोक्त के अलावा, पुष्प कृषि ई. ओ. यू. सीमा शुल्क के भुगतान के बिना, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 126/94 दिनांक 3.6.94 के संदर्भ में पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल का आयात कर सकता है और

तदनुसार एम/एस। एल. आर. ब्रदर इंडो, फ्लोरा लिमिटेड ने ग्रीन हाउस उपकरण, लीवर रोज प्लांट जैसे कच्चे माल का आयात किया है और उक्त अधिसूचना के तहत रोपण सामग्री और उर्वरकों की तरह उपभोग्य। उक्त अधिसूचना का पैरा 3 इस प्रकार हैः - .....

3.7 इसलिए, उपरोक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना के तहत काम करने वाली इकाइयां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत देय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर डी. टी. ए. में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेच सकती हैं, यदि माल उत्पाद शुल्क योग्य है और ऐसे सामानों पर देय पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने पर जैसे कि आयातित हो।

यदि माल पर कर नहीं लगाया जा सकता है। कटे हुए फूल या फूल की कलियाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के तहत अध्याय के रूप में शामिल नहीं हैं।

6 जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में खाली छोड़े गए सीमा शुल्क शुल्क में ऐसे प्रकार के फूल शामिल हैं और इसलिए, एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड की धारा 2 (डी) को देखते हुए इस प्रकार के फूलों को गैर-उत्पाद शुल्क माना जाएगा।

वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944। इसलिए, पूर्ण सीमा शुल्क होगा ऐसे फूलों पर देय, यदि डी. टी. ए. में बेचे जाते हैं तो ऐसे फूलों को

अधिसूचना संख्या 126/94-क्यूस दिनांक के संदर्भ में भारत में आयात किया गया

03.6.94 . इसके अलावा, एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड ने

2000) उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में। इसके अलावा, वे विकास आयुक्त से कोई अनुमति दिखाने में विफल रहा

डी. टी. ए. में उनके माल की बिक्री के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विकास

आयुक्त ने उन्हें ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है, जैसे कि

उन्होंने बहुत के कारण डी. टी. ए. बिक्री का हक अर्जित नहीं किया है

उच्च मात्रा में आयात की तुलना में कम निर्यात। 3.8 मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा हूँ कि एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो

फ्लोरा लिमिटेड, बेहत रोड, सहारनपुर ने इसका उल्लंघन किया है।

आयात और निर्यात नीति 1997-2002 के प्रावधान और नहीं हैं

अधिसूचना संख्या 126/94 दिनांक 3.6.94 की शर्तों को पूरा किया।

इसलिए पार्टी कटे हुए फूलों पर पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत में आयातित फूलों को डी. टी. ए. में बेचा जाता है।

इसके अलावा, उक्त एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड

जैसा कि ऊपर कहा गया है, तथ्यों को जानबूझकर दबाने में लिप्त किया गया है,

और उक्त माल को बेच दिया। , सीएच के नीचे गिरने वाले फूलों को काटें। डी. टी. ए. में सीमा शुल्क का एस. एच. सं. 0603.10

आयात निर्यात नीति के प्रावधानों का उल्लंघन

1997-2002 , सीमा शुल्क के भुगतान के बिना, इसलिए परंतुक के तहत प्रदान की गई पांच साल की विस्तारित अवधि

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 में लागू है

तत्काल मामला। इसलिए, सभी दायित्वों को इतने बड़े पैमाने पर डाला गया था

सही शुल्क दायित्व अर्थात सीमा शुल्क के निर्वहन का वचन देना।

उनसे शुल्क की वसूली की जा सकती है। वे भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं माह के पहले दिन से 24 प्रतिशत की दर से ब्याज

वह महीना जिसमें धारा के तहत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था

28 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा। ..... "

(जोर दिया गया)

5. अतिरिक्त आयुक्त, उपरोक्त आदेश के माध्यम से,

धारा 28 एबी के तहत 24 प्रतिशत की दर से ब्याज की धारा के तहत रु. 9,98,177/- के सीमा शुल्क की मांग और

98,177 / - 1962 के अधिनियम की धारा 114 ए के तहत। अपीलार्थी

आयुक्त [2020] 10 एस. सी. आर. के समक्ष अपील में मामले को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।

(अपील), सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ-I, जिसमें मूल रूप से आदेश की पुष्टि दिनांक 29.7.2005 के आदेश-इन-अपील द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित करके की गईः

" 5. . ... उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मैं स्वयं को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निष्कर्षों से सहमत पाता हूं कि अपीलार्थी

बहुत कम निर्यात के कारण डी. टी. ए. बिक्री का हक अर्जित नहीं किया है आयात की उच्च मात्रा की तुलना में। इस प्रकार, आयात और निर्यात नीति के प्रावधानों का कथित उल्लंघन और अधिसूचना 126/94-क्यूस आई. बी. आई. डी. की शर्तों को पूरा न करना उनके खिलाफ पूरी तरह से स्थापित है। इसलिए, विवादित के अनुसार इस मामले में ब्याज के साथ सीमा शुल्क की मांग

आदेश उचित है।

जहाँ तक अपीलार्थियों पर जुर्माना लगाने का संबंध है, मैं पाता हूँ कि निर्यात और निर्यात के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप

आयात नीति 1997-2002 और अधिसूचना संख्या 126/94 Cus dt।

03.06.94 अपीलार्थियों के विरुद्ध स्थिति सिद्ध हुई। वे जानते थे

कि वे अधीन वस्तुओं की डी. टी. ए. बिक्री करने के हकदार नहीं थे, फिर भी उन्होंने शुल्क के भुगतान से बचने के लिए उसी की डी. टी. ए. बिक्री की। गुजरात त्रावणकोर एजेंसी बनाम आयकर आयुक्त 1989 (42) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ई. एल. टी. 350 (एस. सी.) ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (ए) के तहत जुर्माना एक नागरिक दायित्व है और जब तक कि

कानून की भाषा में कुछ स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत देता है मेन्स्रिया का तत्व, यह आम तौर पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि एक डिफ़ॉल्ट

कानून का पालन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपात को देखते हुए,

अपीलार्थी पर दंड उचित रूप से लगाया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई कमजोरी नहीं मिलती है और इसलिए अपील को अस्वीकार कर देता हूं।

6. इस मामले को सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में आगे बढ़ाया गया था।

जहां नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश की पुष्टि करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया था, जबकि यह भी माना गया था कि संशोधन अधिसूचना संभावित है और वर्तमान मामले में लागू नहीं की जा सकती है। आक्षेपित क्रम का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 5. हमने दोनों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

पक्षों को। चाहे डी. टी. ए. ने कटौती की मंजूरी दी हो

फूल, एक्जिम नीति के उल्लंघन में या अन्यथा, एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड थे।

वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.] कट-फूल गैर-उत्पाद शुल्क वस्तु होने के कारण, उनकी डी. टी. ए. मंजूरी छूट अधिसूचना संख्या 123/94-सी. यू. एस. के पैरा 3 (ए) के प्रावधानों के संदर्भ में आकर्षित करेगी। , केवल कटे हुए फूलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क शामिल होता है। विवाद का मुद्दा यह है कि क्या डी. टी. ए. को स्वीकृत किए गए कटे हुए फूलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर देय सीमा शुल्क को कटे हुए फूलों के आयात पर देय सीमा शुल्क के बराबर राशि के रूप में लिया जाना चाहिए, या यह डी. टी. ए. को स्वीकृत किए गए कटे हुए फूलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर वास्तविक सीमा शुल्क होना चाहिए।

5.1

XXX

XXX

XXX

5.2 अधिसूचना संख्या 126/94-क्यूस के पैरा 3 (ए) को पढ़ने से जो विवाद की अवधि के दौरान मौजूद था, अर्थात उस अवधि के दौरान।

18.5.01 से पहले-और जैसा कि यह W. E. F. 18-5-01 की अवधि के दौरान मौजूद था, यह स्पष्ट है कि विवाद की अवधि के दौरान, अधिसूचना में सीमा शुल्क निर्धारित करने के लिए एक मशीनरी प्रावधान था।

डी. टी. ए. को मंजूरी दी गई गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आदानों पर प्रभार्य और इस मशीनरी प्रावधान के अनुसार, शुल्क तैयार माल पर प्रभार्य सीमा शुल्क के बराबर राशि में होना था, जैसे कि आयातित। हालाँकि, इस अधिसूचना के संशोधन के बाद डब्ल्यू. ई. एफ. 18.5.01 पर शुल्क

डी. टी. ए. को स्वीकृत गैर-उत्पादनीय वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश की गणना वास्तविक आधार पर की जानी थी। अधिसूचना संख्या 126/94-सी. यू. एस. में संशोधन। अधिसूचना संख्या 56/01 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 18.5.01 का केवल संभावित प्रभाव हो सकता है और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, विवाद की अवधि के दौरान, डी. टी. ए. को स्वीकृत किए गए कटे हुए फूलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क की गणना अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि उस अवधि के दौरान मौजूद था।

6. विक्रम इस्पात (उपरोक्त) के मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय इस मामले के तथ्य पर लागू नहीं होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में कट-फूलों की डी. टी. ए. मंजूरी के संबंध में क्या आरोप लगाया जा रहा है।

कटे हुए फूलों पर सीमा शुल्क नहीं है, बल्कि उन कटे हुए फूलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आदानों पर सीमा शुल्क है, जो अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि उस समय मौजूद था, कटे हुए फूलों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क के बराबर था। जायगो फ्लावर्स लिमिटेड (ऊपर) और कॉस्को ब्लॉसम प्राइवेट के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले में। लिमिटेड (ऊपर), निहितार्थ [2020] 10 एस. सी. आर.

विवाद की अवधि के दौरान छूट अधिसूचना के पैरा 3 (ए) के शब्दों के बारे में-या जहां ऐसी वस्तुएं (अस्वीकृत, अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री सहित) उत्पाद शुल्क से मुक्त नहीं हैं, उत्पादन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान पर,

ऐसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क के बराबर राशि में ऐसी वस्तुओं का निर्माण या पैकेजिंग, जैसे कि आयातित, पर विचार नहीं किया गया था। यदि अपीलार्थी के विचार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो "ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित सीमा शुल्क के बराबर राशि में, जैसे कि आयातित" शब्द निरर्थक हो जाएंगे। कानून की व्याख्या का यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी कानून का अर्थ उसमें कोई शब्द जोड़े बिना या उसमें से किसी भी शब्द को घटाए बिना लगाया जाना चाहिए और एक ऐसी व्याख्या जो कानून का एक हिस्सा है।

अनावश्यक कानून से बचना होगा।

7. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि डी. टी. ए. मंजूरी के संबंध में सीमा शुल्क सही ढंग से लिया गया है। कटे हुए फूल और इस तरह हम आक्षेपित क्रम में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। "
इस प्रकार, सीमा शुल्क लगाने की पुष्टि हो गई।

7. व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपीलार्थी के तर्क का जोर यह है कि पैराग्राफ 3 के अनुसार

छूट अधिसूचना के अनुसार, डी. टी. ए. में की गई बिक्री पर उत्पाद शुल्क लगेगा और चूंकि अपीलार्थी द्वारा बेचे गए कटे हुए फूल गैर-उत्पाद शुल्क वाले सामान हैं, इसलिए उस पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अधिसूचना के अनुसार, गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में, आयातित निवेश पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान मामले में, चूंकि कटे हुए फूल घर में उगाए जाते हैं, इसलिए उन पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सीमा शुल्क की मांग को बनाए नहीं रखा जा सकता है। कॉस्को ब्लॉसम प्राइवेट लिमिटेड में सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है। लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली और विक्रम इस्पात बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई-III में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण की बड़ी पीठ। इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि छूट अधिसूचना डी. टी. ए. बिक्री में बेची जाने वाली गैर-उत्पादनीय वस्तुओं पर आयात के मूल्य की सीमा तक सीमा शुल्क लगाने की भविष्यवाणी करती है, न कि अंतिम उत्पाद के मूल्य की सीमा तक। यह भी आग्रह किया जाता है कि संशोधन

अधिसूचना केवल स्पष्टीकरणात्मक है और इसलिए यह लागू होगी।

72004 (164) ई. एल. टी. 423 (त्रि. - डेल.) 8 संक्षेप में, "द सी. ई. जी. ए. टी". 9
2000 (120) ईएलटी 800 (न्यायाधिकरण-एलबी)

एम/एस। एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पीछे की ओर। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या 31/2001-क्यूस दिनांक 24.5.2001 पर भरोसा रखा था, जिसमें कहा गया था कि अंतिम उत्पाद के आयात पर देय शुल्क के बराबर निवेश पर सीमा शुल्क का शुल्क फूलों की खेती के ईओयू को नुकसानदेह स्थिति में डाल रहा है। सर्कुलर में आगे परिकल्पना की गई है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं में खरीदे गए इनपुट पर शुल्क की वसूली शुल्क मुक्त प्रदान की गई है, जबकि छूट अधिसूचना अंतिम उत्पाद पर शुल्क के बराबर इनपुट पर वसूली के लिए प्रदान की गई है। कि संशोधन अधिसूचना इस विसंगति को दूर करने और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जारी की गई थी

अधिसूचनाएँ। अपीलार्थी ने आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि जब भी विधायक को लाभ प्रदान करने का इरादा होता है

व्यक्ति, यह माना जाना चाहिए कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है। अपीलार्थी ने जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और Ors.[1]2 मामले में इस न्यायालय के एक और निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि एक खंड का प्रतिस्थापन जो विधायिका के इरादे के बारे में स्पष्ट करता है, मूल प्रावधान के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होता है। अपीलार्थी आगे यह आग्रह करेगा कि 1962 के अधिनियम की धारा 12, आरोप लगाने की धारा होने के नाते, केवल तभी लागू की जा सकती है जब माल का भारत में आयात किया जाता है और चूंकि कटे हुए फूलों का आयात नहीं किया जाता है, इसलिए 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी कारण दर्शाओ नोटिस कानून में गलत है। इस संबंध में, अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम सुरेश पर निर्भरता रखी थी।

सिंथेटिक्स 1 3. अपीलार्थी ने आगे यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया। रायपुर 1 4 यह प्रस्तुत करने के लिए कि 1962 के अधिनियम की धारा 28, सीमा का विस्तार, केवल जानबूझकर चूक के मामले में लागू किया जा सकता है और आग्रह किया कि इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई चूक नहीं थी।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी आग्रह करेगा कि वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में, विभाग ने सीमा शुल्क को सही ढंग से लगाया है

शुल्क, क्योंकि डी. टी. ए. द्वारा की गई बिक्री एक्जिम नीति का उल्लंघन थी और अपीलार्थी को डी. टी. ए. में माल को खाली करने के लिए विकास आयुक्त से कोई अनुमति नहीं थी। प्रतिवादी ने आगे आग्रह किया कि

1 2 (2004) 8 एससीसी 1 13 2007 (216) ई. एल. टी. 662 (एससी) 14 (2013) 9 एस. सी. सी. 753 [2020] 10 एस. सी. आर.

संशोधन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जबकि यह इंगित करता है कि सी. बी. ई. सी. परिपत्र अपने शुरुआती पैराग्राफ में बताता है

" "संशोधन" को लागू करना। इसके अलावा, संशोधन को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए। रिलायंस को संघ में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

भारत और एन. आर. बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड और Anr.[1], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रावधान उपचारात्मक प्रकृति का है, तो इसे स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

9. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रुपेश कुमार और वरिष्ठ वकील श्री अशोक के. श्रीवास्तव को सुना है।

उत्तरदाता।

10. इस अपील में विचार के लिए जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं वे हैंः (i) क्या गैर-उत्पादनीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है।

भारत में उत्पादित और ई. ओ. यू. द्वारा डी. टी. ए. में बेचा जाता है? ; और (ii) क्या अधिसूचना संख्या 56/01-क्यूस दिनांक 18.05.2001 के संदर्भ में संशोधन, जो निवेश पर शुल्क के निर्धारण के मानदंडों में संशोधन करने के लिए अभिप्रेत है, इसके अनुप्रयोग में संभावित या पूर्वव्यापी है?

11. शुरू में, घोषित अधिसूचना का उल्लेख करना उचित है। इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" अधिसूचना सं। 126 / 94 - सी. यू. एस. दिनांक 3.6.1994

विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर छूट 100% E.O.Us द्वारा वस्तुओं का निर्यात।-शक्तियों का प्रयोग करते हुए

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, भारत से बाहर निर्यात के लिए या उत्पादन के संबंध में उपयोग किए जाने के लिए अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण के लिए, भारत में आयात किए जाने पर इस अधिसूचना (इसके बाद माल के रूप में संदर्भित) के अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट देती है। में निर्दिष्ट उक्त वस्तुओं का निर्माण या पैकेजिंग

अधिसूचना द्वारा नियुक्त सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों द्वारा भारत से बाहर निर्यात (इसके बाद निर्दिष्ट उद्देश्य के रूप में संदर्भित) के लिए अनुलग्नक-II

पूर्व उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में भारत सरकार, (औद्योगिक विकास विभाग) सं। एस. 0.163 (ई)/आरएलआईयू/10 (2) 76, दिनांक 3 मार्च, 1976 या

15 (2016) 9 एस. सी. सी. 720 एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड। वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत उस पर अधिरोपित सीमा शुल्क की संपूर्णता से संबंधित विकास आयुक्त, जैसा भी मामला हो, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, दूसरे उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के तहत उस पर अधिरोपणीय अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो,

अर्थात्:

(1) आयातक को आवश्यक लाइसेंस प्रदान किया गया है

उक्त माल का आयात;

(2) आयातक, उक्त माल के आयात के समय, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को विकास आयुक्त से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातक ने ऐसे रूप में और ऐसी राशि के लिए बांड निष्पादित किया है जो खुद को बाध्य करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

(क) उक्त माल को अपनी इकाई में लाना और उपयोग करना।

निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए; और

(ख) उक्त माल या इकाई में उत्पादित, निर्मित या पैक की गई वस्तुओं या ऐसे कचरे, स्क्रैप या अवशेषों का निपटान करना।

निर्यात-आयात में निर्धारित तरीके से उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग, यदि कोई हो, नीति और इस अधिसूचना में;

XXX

XXX

XXX

3. इस अधिसूचना में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली अस्वीकृति, अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री), भले ही भारत से बाहर निर्यात नहीं की जाती हो, भारत में निर्यात-आयात नीति के तहत और उसके अनुसार और ऐसी मात्रा में और ऐसी अन्य सीमाओं और शर्तों के अधीन बेचने की अनुमति है जो विकास आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के तहत उस पर देय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर या जहां ऐसी वस्तुएं (अस्वीकृति, अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री सहित) कर योग्य नहीं हैं, ऐसे [2020] 10 एस. सी. आर. के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान।

वस्तुएँ, सीमा शुल्क के बराबर राशि में

स्पष्टीकरण। - इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए, "निर्यात-आयात" नीति का अर्थ है निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1997-31 मार्च,

2002 , भारत सरकार द्वारा मंत्रालय में प्रकाशित

वाणिज्य अधिसूचना सं. 1/1997-2002, दिनांक 31 मार्च, 1997, समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ..... "

(जोर दिया गया)

12. उपरोक्त अधिसूचना को केवल देखने से यह पता चलता है कि

एक 100% ईओयू के लिए निवेश के शुल्क मुक्त आयात के प्रावधान के अलावा

इसके द्वारा उत्पादित या निर्मित सभी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए, इसके अलावा, यह ई. ओ. यू. एस. को डी. टी. ए. में अपने सामान को एक्जिम नीति के अनुसार और उसके अनुसार अनुमति के अनुसार हटाने की स्वतंत्रता भी देता है। द.

परिच्छेद 9.9 में एक्जिम नीति में प्रावधान किया गया है कि डी. टी. ए. में बिक्री करने की पात्रता अर्जित करने के लिए इकाई को सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय बनाए रखनी होगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा आय की गणना, जैसा कि पैराग्राफ 9.29 में परिभाषित किया गया है, पॉलिसी के पैराग्राफ 9.9 में प्रदान की गई है, जिसे पॉलिसी के परिशिष्ट I में निर्धारित किया जाना था। कटे हुए फूलों के मामले में, यह 20 प्रतिशत तय किया गया है क्योंकि यह "ऊपर शामिल नहीं किए गए उत्पादों" की श्रेणी में आएगा।

13. अधिसूचना को शर्तों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर

एक्जिम नीति में निर्धारित, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त शर्तों को पूरा करना डी. टी. ए. बनाने के लिए पात्र होने की पूर्व शर्त है। बिक्री। नतीजतन, यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए डी. टी. ए. बिक्री में माल को मंजूरी दी जाती है, तो सीमा शुल्क लगाया जाएगा, जैसे कि ऐसी वस्तुएं आयातित वस्तुएं हों।

14. पहले प्रश्न पर लौटते हुए, अपीलार्थी जोर देता है

कि एक 100% ई. ओ. यू. द्वारा की गई डी. टी. ए. बिक्री केवल उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हो सकती है और 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण दिखाएँ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था। इस आधार को विक्रम इस्पात (ऊपर) में सी. ई. जी. ए. टी. की बड़ी पीठ के निर्णय में समर्थन मिलता है, जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 16 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 16. अधिसूचना संख्या 2/95-सी. ई. , दिनांकित 4-1-95 प्रदान करता है कि

100% ई. ओ. यू. द्वारा निर्मित और डी. टी. ए. को मंजूरी दी गई वस्तुएँ उत्पाद शुल्क के इतने अधिक शुल्क से छूट दी जाए जो इससे अधिक हो

सीमा शुल्क एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड के प्रत्येक शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि।

वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भारत के बाहर उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर लागू किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठनीय, यदि

भारत में आयात किया गया बशर्ते कि देय शुल्क की राशि घरेलू शुल्क क्षेत्र में इकाइयों द्वारा उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर किसी भी प्रासंगिक अधिसूचना के साथ पठनीय उत्पाद शुल्क से कम न हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिसूचना संख्या 2/95 शुल्क की दर की एक न्यूनतम सीमा प्रदान करती है जिसका भुगतान 100% E. O. U. द्वारा माल को डी. टी. ए. को मंजूरी देते समय किया जाना है और यह सीमा 100% E. O. U. के बाहर निर्मित सामान पर देय उत्पाद शुल्क द्वारा प्रदान की जाती है। ई. ओ. यू. द्वारा मंजूरी दी गई वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क का समान वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से अधिक है, एक ई. ओ. यू. को अधिक शुल्क देना पड़ता है। राजस्व यह कल्पना लाते हुए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत भुगतान किए गए सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के घटकों के लिए मोडवाट क्रेडिट का लाभ सीमित करना चाहता है कि ई. ओ. यू. एक ऐसा स्थान है जो भारत में नहीं है और भारत के भीतर से इसकी बिक्री भारत में आयात के समान है। राजस्व के इस दृष्टिकोण में हमें कोई सार नहीं मिलता है। ई. ओ. यू. द्वारा माल की निकासी उन शर्तों के अनुसार आयात नहीं है जिनमें इसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (23) के तहत परिभाषित किया गया है।

व्याकरणिक आ ठोस अभिव्यक्तिक अर्थ छैक

भारत के बाहर एक स्थान से भारत। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि जब सामान को ई. ओ. यू. से भारत में किसी भी स्थान पर भेजा जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत लगाया जाता है, न कि सीमा शुल्क।

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क। यदि इसे आयात माना जाना है, तो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत शुल्क लिया जाना चाहिए, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। राजस्व, ऐसा लगता है कि उपाय को भ्रमित कर रहा है

कर की प्रकृति के साथ कर। ई. ओ. यू. से माल पर लगाए गए शुल्क की प्रकृति उत्पाद शुल्क है और कुछ नहीं, जबकि शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपनाया गया उपाय सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देय शुल्क है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित कई मामलों में माना गया है। कर की वसूली में कानून निर्माताओं द्वारा अपनाई गई विधि इसके चरित्र को नहीं बदल सकती है। एक बार जब यह माना जाता है कि भारत में किसी भी स्थान पर भेजी गई वस्तुओं के संबंध में ई. ओ. यू. द्वारा भुगतान किया गया शुल्क उत्पाद शुल्क है, तो [2020] 10 एस. सी. आर. का सवाल है।

सीमा शुल्क, सहायक शुल्क, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क या कोई अन्य सीमा शुल्क नहीं लगता है। ए. आर. का प्रारूप

1 जिस पर विद्वान डी. आर. द्वारा निर्भरता रखी गई थी, वह नहीं हो सकता है।

कानूनी स्थिति को बदलें कि 100% E. O. U. पर लगाया गया शुल्क एक है उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नहीं। "

(जोर दिया गया)

हालाँकि, इस प्रदर्शनी का इस तथ्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

वर्तमान मामले में, जहां तक एक्जिम नीति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और मुद्दा केवल कर की प्रकृति के बारे में था, अन्यथा उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुओं के मामले में।

15. स्वीकार्य रूप से, डी. टी. ए. की बिक्री उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं से संबंधित है।

एक्जिम नीति की शर्तों के अनुरूप उत्पाद शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार एक्जिम नीति की शर्तों का उल्लंघन होने के बाद, उत्पादित माल के कर योग्य या गैर-कर योग्य होने की परवाह किए बिना, छूट अधिसूचना के तहत लाभ उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में माल ही आयातित माल की तरह सीमा शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा।

16. अब हम जांच कर सकते हैं कि स्थिति क्या होगी।

एक्जिम नीति के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार गैर-उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं की बिक्री का मामला। यह मानते हुए कि एक्जिम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था इस नीति के तहत, यदि माल पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो छूट अधिसूचना का अनुच्छेद 3 लागू होगा और ऐसी वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर शुल्क लगाया जाएगा। यहाँ 1962 के अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखना प्रासंगिक है, जो कि आरोप अनुभाग है, जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया हैः

" धारा 12-देय वस्तुएँ

(1) सिवाय इसके कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान किया गया है

उस समय लागू सीमा शुल्क इस प्रकार लगाया जाएगा सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (51) के तहत निर्दिष्ट दरें

भारत में आयात या निर्यात किया जाता है। (2) उप-धारा (1) के प्रावधान सभी के संबंध में लागू होंगे।

सरकार से संबंधित वस्तुएँ जो वस्तुओं के संबंध में लागू होती हैं

सरकार से संबंधित नहीं "। एम/एस।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है, उनसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 या "किसी अन्य कानून" के तहत निर्दिष्ट शुल्क लिया जाएगा, जब तक कि 1962 के अधिनियम या "किसी अन्य कानून" के तहत छूट न दी गई हो। 17. वर्तमान मामले में, अधिसूचना में निवेश के आयात पर छूट का प्रावधान है और साथ ही कुछ नियमों का पालन करने का भी प्रावधान है।

छूट का लाभ उठाने के लिए शर्तें। अधिसूचना में आगे उस दर को निर्धारित किया गया है जिस पर डी. टी. ए. में बेचे जाने वाले गैर-उत्पादनीय सामानों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क लगाया जाना है। इस प्रकार,

अधिसूचना, जो 1962 के अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रत्यायोजित कानून के प्रयोग में जारी की गई है, को "किसी अन्य कानून" के रूप में समझना होगा। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी, अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के बाद, अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर पर आयातित निवेश पर सीमा शुल्क से बच नहीं सकता है। 18. कारण दर्शाओ नोटिस में बताया गया है कि अपीलकर्ता ने "जीवित गुलाब के पौधों" जैसे कच्चे माल और उर्वरकों जैसी उपभोग्य सामग्रियों का आयात किया था

हालाँकि, रोपण सामग्री, अपीलार्थी ने सलाह दी कि उसने अपने तर्क को "फूलों को काटने" तक सीमित रखने का विकल्प चुना, जो, जैसा कि तर्क दिया गया है, भारतीय भूमि पर उगाए गए थे और इस प्रकार सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालांकि, कारणदर्शक सूचना में कटे हुए फूलों को आयातित माना गया "माना" करने की मांग केवल आयातित आदानों पर सीमा शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी और घरेलू रूप से उगाए गए कटे हुए फूलों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया था।

19. कॉस्को ब्लॉसम के मामले में सी. ई. एस. टी. ए. टी. का निर्णय

(उपर्युक्त) अपीलार्थी के लिए कोई लाभप्रद नहीं है। उस मामले में, न्यायाधिकरण ने विक्रम इस्पात (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया था और कहा था कि डी. टी. ए. बिक्री में साफ किए गए कटे हुए फूलों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, यह विचार किए बिना कि सामान गैर-उत्पाद शुल्क योग्य थे। विशेष रूप से, न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को आयातित निवेश पर सीमा शुल्क लगाने की स्वतंत्रता दी थी, यदि इसका उपयोग डी. टी. ए. में स्वीकृत माल के उत्पादन में किया जाता है, जो प्रतिवादी के मामले का समर्थन करता है। उपरोक्त आदेश का अनुच्छेद 5 यह नीचे लिखा है:

" 5. यह अच्छी तरह से तय किया गया है [2000 (120) ई. एल. टी. 800] कि ई. ओ. यू. में उत्पादित वस्तुओं को आयातित वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है और सीमा शुल्क के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं के संबंध में देय शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत उत्पाद शुल्क है।

विवादित आदेश को दरकिनार कर दें और वर्तमान अपील की अनुमति दें। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्व प्राधिकरण होंगे

आयातित निवेश पर शुल्क की मांग करने की स्वतंत्रता, यदि कोई हो,

कट के उत्पादन में उपयोग किया जाता है-विचाराधीन फूल।

अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

(जोर दिया गया)

20. एक प्राथमिकता, वर्तमान मामले में मांग, गैर से संबंधित

1962 के अधिनियम के तहत डी. टी. ए. में बेचे जाने वाले माल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आयातित आदानों का उल्लंघन करने पर उत्पाद शुल्क उचित रूप से लगाया गया है। एक्जिम नीति में शर्तों की।

21. सुरेश सिंथेटिक्स (ऊपर) में सी. ई. एस. टी. ए. टी. का निर्णय नहीं है।

वर्तमान मामले में लागू। उस मामले में सामान पॉलीस्टर टेक्सचर्ड यार्न थे, जो एक्साइज़ेबल सामान हैं। जाँच केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, हालाँकि, 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मांग बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह एक दोषपूर्ण कारण दिखाने के नोटिस के तहत की गई थी।

22. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में, वर्तमान अधिसूचना भी समय लेती है

1944 अधिनियम की धारा 3 का सहारा लें, जैसा कि ऊपर निकाली गई अधिसूचना के पैराग्राफ 3 से देखा जा सकता है। जबकि, 1962 के अधिनियम के प्रावधानों को केवल तभी लागू किया जाता है जब माल गैर-उत्पाद शुल्क योग्य होता है। वर्तमान मामले में, चूंकि कटे हुए फूल गैर-उत्पादनीय वस्तुएं हैं, इसलिए मांग

सीमा शुल्क के भुगतान के लिए 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण दिखाएं नोटिस देना उचित था।

23. दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, कारण बताएँ नोटिस था

संशोधन अधिसूचना जारी करने से पहले अपीलार्थी को जारी किया गया। इस पृष्ठभूमि में, आइए अब हम अपीलार्थी के इस तर्क की जांच करें कि संशोधन अधिसूचना अपने आवेदन में पूर्वव्यापी है। द. उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" अधिसूचना सं। 56 / 2001 - सी. यू. एस. दिनांक 18.5.2001

धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

25 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केंद्र सरकार

16 संक्षेप में, "द 1944 एक्ट" एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड।

वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की प्रत्येक अधिसूचना, जो यहां संलग्न तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है,

यथास्थिति, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित या आगे संशोधित किया गया।

तालिका

श्री. नहीं

अधिसूचना

संशोधन

नहीं।

और तारीख

(1)

(2)

(3)

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

उक्त अधिसूचना में कहा गया है,

(क) पहले पैराग्राफ में, शर्त (6) में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित होगा -

सम्मिलित किया गया, अर्थात्: -

" (ई) अस्वीकृति और अपव्यय का विनाश

इकाई के भीतर शुल्क का भुगतान किए बिना, या उक्त इकाई के बाहर, जहाँ यह नहीं है

उसी को नष्ट करना संभव या अनुज्ञेय है।

उक्त इकाई की उपस्थिति में सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी "। ;

(ख) अनुच्छेद 2 में, परंतुक में, के लिए

शब्दों और आंकड़ों पर 15 प्रतिशत विज्ञापन का शुल्क

मान ", शब्द और आकृति" का कर्तव्य

5 % विज्ञापन मान "को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुच्छेद 3 में, खंड (क) में, के लिए

126 / 94 - कुस दिनांकित

8 .

सीमा शुल्क के भुगतान पर "शब्द"

3 जून, 1994

उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग

समान राशि में ऐसी वस्तुओं का

इन पर देय सीमा शुल्क

ऐसी वस्तुएँ जैसे कि आयातित हों। " , द.

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" सीमा शुल्क उस राशि के बराबर है

इसके तहत प्राप्त निवेश पर देय

अधिसूचना, उस समय देय होगी

ऐसी वस्तुओं को हटाने के लिए।

(जोर दिया गया)

24. जैसा कि देखा जा सकता है, उपरोक्त अधिसूचना ले जाने की स्थिति रखती है

उपयोग किए गए इनपुट के चार्जिंग क्लॉज को प्रतिस्थापित करना [2020] 10 एस. सी. आर.

गैर-उत्पादनीय वस्तुओं के मामले में। अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं देती है कि क्या किए गए संशोधन संभावित रूप से या पूर्वव्यापी रूप से लागू होने वाले थे। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि सभी कानूनों को संभावित रूप से लागू माना जाता है जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाता है या ऐसा करने का इरादा नहीं है विधायिका। उत्तरार्द्ध आवश्यक निहितार्थ का मामला होगा और इसका अनुमान हल्के में नहीं लगाया जा सकता है।

25. इस संबंध में, अपीलार्थी ने यह तर्क देने के लिए सीबीईसी परिपत्र पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि सरकार अधिसूचना को लागू करने का इरादा रखती है

पूर्वव्यापी रूप से इसे एक विसंगति को दूर करने के लिए लाया गया था, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं के संबंध में मौजूद थी। सी. बी. ई. सी. परिपत्र के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

" परिपत्र संख्या 31/2001-कुस, दिनांक 24-5-2001

XXX

XXX

XXX

(xi) गैर-उपयोग योग्य वस्तुओं की डी. टी. ए. मंजूरी पर शुल्क; 25. वर्तमान में ई. ओ. यू. एस. और ई. पी. जेड./एस. टी. पी./ई. एच. टी. पी. योजनाओं के तहत काम करने वाली इकाइयों को तैयार उत्पादों (जिनमें शामिल हैं) को बेचने की अनुमति है।

डी. टी. ए. में मंजूरी दी जाने वाली वस्तुएँ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत, उपरोक्त योजनाओं के तहत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात प्रदान करने वाली अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जहां तैयार उत्पादों (अस्वीकृत, अपशिष्ट और स्क्रैप सहित) को डी. टी. ए. में हटाने योग्य नहीं है, ऐसे उत्पादों को उत्पादन, निर्माण, प्रसंस्करण या पैकेजिंग के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सीमा शुल्क के भुगतान पर ऐसे उत्पादों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के बराबर राशि में हटाने की अनुमति है। उत्पाद जैसे कि आयातित।

26. बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ आयुक्तालयों में ई. ओ. यू. योजना के तहत फूलों की खेती करने वाली इकाइयों को तैयार माल पर सीमा शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आयात किया गया हो, कटे हुए फूलों की निकासी के लिए, जो एक उत्पाद शुल्क नहीं है। यह भी कहा गया है कि डी. टी. ए. इकाइयों को बिक्री के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है

कटे हुए फूलों के लिए शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। यह एम/एस को बताया गया है।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ई. ओ. यू. में फूलों की खेती इकाइयों को गंभीर स्थिति में रखा है।

27. इस मामले की जांच की गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ईओयूएस और इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त खरीद को नियंत्रित करने वाली अधिसूचनाएँ

ई. पी. जेड./एस. टी. पी./ई. टी. एच. पी. योजनाओं के तहत वसूली का प्रावधान है

खरीद की गई सामग्री और उपभोग्य सामग्रियों पर शुल्क के तहत शुल्क मुक्त

छूट अधिसूचना, जो गैर के उत्पादन में चली गई है

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को डी. टी. ए. में मंजूरी दी गई। अधिसूचनाओं में ई. ओ. यू. एस. और ई. पी. जेड./एस. टी. पी./द्वारा शुल्क मुक्त आयात को नियंत्रित करना

ई. एच. टी. पी. इकाइयाँ, विसंगति, हालांकि, इस रूप में मौजूद है अधिसूचनाएँ सीमा शुल्क के भुगतान के बारे में बात करती हैं

समान राशि में वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश

ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित सीमा शुल्क जैसे कि आयातित

जैसे कि। इस विसंगति को दूर करने के लिए, सभी अधिसूचनाएँ

एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड इकाइयों द्वारा वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात को नियंत्रित करना

जलीय कृषि और कृषि क्षेत्र सहित ई. ओ. यू. एस.

इनके प्रावधानों को लाने के लिए संशोधन किया गया है संबंधित प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचनाएँ

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाएँ। अधिसूचना संख्या 56/2001-क्यूस, दिनांकित

18-5-2001 विवरण के लिए देखा जा सकता है। "

(जोर दिया गया)

26. परिपत्र को खाली पढ़ने पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह

संशोधन से पहले लागू तंत्र, परिवर्तन लाने का कारण और लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा करें। परिपत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पहले लागू की गई कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की स्पष्टता की कमी या अभाव था। बल्कि यह कहता है कि वही किया जा रहा था

संबंधित परिपत्रों में शुल्क दरों में अंतर के कारण डी. टी. ए. इकाइयों की तुलना में ई. ओ. यू. इकाइयों के लिए नुकसानदेह है। इस पर विचार करने पर, उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं के साथ समानता स्थापित करने और उस नुकसान को सही साबित करने के लिए संशोधन लाया गया है जो पहले की व्यवस्था ईओयू इकाइयों

को दे रही थी। केवल इसलिए कि एक विसंगति को संबोधित किया गया है, इसे एक त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे ठीक किया गया है। जब तक इसे अन्यथा नहीं दिखाया जाता है, तब तक इसे व्यवस्था में एक सचेत परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से राजकोषीय विषय के मामलों के संबंध में। "विसंगति" शब्द को वेबस्टर की नई बीसवीं शताब्दी में परिभाषित किया गया है। शब्दकोश का अर्थ है "असामान्यता; अनियमितता; नियमित व्यवस्था, सामान्य नियम या सामान्य विधि से विचलन"।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. विषय परिपत्र के संदर्भ में, क्योंकि यह पिछली व्यवस्था पर ध्यान देता है और इसे उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं से अलग करता है,

अर्थ को नियमित व्यवस्था से विचलन के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसे कल्पना के किसी भी विस्तार से केवल गलती के रूप में नहीं माना जा सकता है। संशोधन अधिसूचना को स्पष्टीकरणात्मक या उपचारात्मक प्रकृति का कहने के लिए, यह आवश्यक होगा कि पिछली अधिसूचना में कोई त्रुटि/गलती/चूक हुई थी जिसे केवल समझाया जाना चाहिए।

28. यह समझने के लिए कि क्या सरकार ने यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन अधिसूचना लाई है कि वस्तुओं का शुल्क किस दर से लिया जाना था

अंतिम अनुच्छेदों के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए प्रदान किए गए शुल्क के लिए, संशोधन से पहले स्थिति का विश्लेषण करना और यह देखना आवश्यक होगा कि क्या अंतिम अनुच्छेदों की दर से प्रभार्य निवेश पर शुल्क एक त्रुटि थी जो सामने आई। इस संबंध में, हम 1944 के अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख कर सकते हैं क्योंकि यह प्रासंगिक अवधि के दौरान थी, जो यहाँ नीचे दी गई है:

" खंड 3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क लगाए जाएंगे
(1) वहाँ इस तरह से लगाया और एकत्र किया जाएगा जो हो सकता है

निर्धारित किया गया,

(क) भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में निर्धारित दरों पर उत्पाद शुल्क।

1986) ;

(ख) उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का एक विशेष शुल्क

बशर्ते कि उत्पाद शुल्क जो किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु पर लगाया और एकत्र किया जाएगा
उत्पादित या निर्मित,

(i) एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया; या

((ii) सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम करना और भारत में बेचने की अनुमति देना,

सीमा शुल्क की कुल राशि के बराबर राशि होगी जो एम/एस की धारा 12 के तहत देय होगी।

एल. आर. ब्रदर्स इंडो फ्लोरा लिमिटेड वी. केंद्रीय आयुक्त [ए. एम. खानविलकर, जे.]

समान वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

यदि भारत में आयात किया जाता है तो भारत के बाहर उत्पादित या निर्मित

भारत, और जहाँ सीमा शुल्क के उक्त कर्तव्य हैं

के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमा शुल्क

अधिनियम, 1975 (1975 का 51)। "

(जोर दिया गया)

1944 के अधिनियम की आरोप धारा के प्रावधान में प्रावधान है कि

डी. टी. ए. बिक्री करने वाले ई. ओ. यू. से शुल्क इस तरह लिया जाएगा जैसे कि माल का भारत में आयात किया गया हो और इसका मूल्य उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के बराबर हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त प्रावधान केवल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामलों में लागू होता है, लेकिन गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए इसके तहत शर्तों द्वारा समान शुल्क प्रदान करने वाली छूट अधिसूचना को उत्पाद शुल्क योग्य और गैर-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में शुल्क को बराबर करने के लिए बनाया गया है। इसलिए, यह पालन किया जाना चाहिए कि उक्त प्रावधान एक त्रुटि नहीं थी जो सरकार द्वारा जानबूझकर पेश की गई थी

चार्जिंग दर निर्धारित करें, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। यह कि संशोधन से पहले की स्थिति होने के कारण, लाए गए संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।

29. जिल सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का कोई फायदा नहीं है।

अपीलार्थी को। जहाँ तक यह मसौदा तैयार करने वालों द्वारा शब्दों के खराब चयन का मामला था, जिसके कारण व्याख्या में बेतुकेपन आया और इरादे को स्पष्ट करने के लिए बाद में ऐसे शब्दों का प्रतिस्थापन किया गया। वर्तमान में

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मौजूदा व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं थी और यह ईओयू इकाइयों को राहत देने का एक नीतिगत निर्णय था इसके संशोधन की तारीख से।

30. वाटिका टाउनशिप (ऊपर) में, इस न्यायालय की संविधान पीठ

पूर्वव्यापीता से संबंधित सिद्धांत का विश्लेषण किया है। अपीलार्थी निर्णय के अनुच्छेद 30 में किए गए अवलोकन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो इस प्रकार है:

" 30. ..... यदि कोई कानून कुछ व्यक्तियों को लाभ प्रदान करता है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाए बिना

या आम तौर पर जनता पर, और ऐसा लाभ कहाँ प्रदान किया जाए

ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधायकों का उद्देश्य था, फिर अनुमान [2020] 10 एस. सी. आर.

यह होगा कि ऐसा विधान, जो इसे एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण देता है, इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने की गारंटी देगा। ..... " .

अपीलार्थी स्पष्ट रूप से उपरोक्त संदर्भ की गलत व्याख्या करता है।

उसी को अलग-थलग पढ़कर। एक बेहतर पाने के लिए

'32 . आइए हम चर्चा को थोड़ा और तेज करें। हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, एक विशेष संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक या घोषणात्मक प्रकृति का माना जा सकता है। इस तरह के वैधानिक प्रावधानों को "घोषणात्मक क़ानून" के रूप में लेबल किया जाता है। जिन परिस्थितियों में प्रावधानों को "घोषणात्मक क़ानून" कहा जा सकता है, उन्हें न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा निम्नलिखित तरीके से समझाया गया हैः' घोषणात्मक कानून

पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। जैसा कि CRAIES में कहा गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित ' आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को संदेह दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

सामान्य कानून, या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव के रूप में मौजूद। इस तरह के अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का सामान्य कारण यह है कि संसद जिसे न्यायिक त्रुटि मानती है, उसे दरकिनार कर दिया जाए, चाहे वह सामान्य कानून के कथन में हो या कानूनों की व्याख्या में। आमतौर पर, यदि निश्चित रूप से नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है, और "घोषित" शब्द के साथ-साथ "अधिनियमित" शब्द भी होता है। लेकिन 'यह घोषित किया गया है' शब्दों का उपयोग निर्णायक नहीं है कि अधिनियम घोषणात्मक है क्योंकि इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी कानून के नए नियमों को पेश करने के लिए किया जा सकता है और बाद के मामले में अधिनियम केवल कानून में संशोधन करेगा और आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा। अतः अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करते हुए,

रूप के बजाय पदार्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की 'व्याख्या' करने के लिए है, तो वह इसके बिना होगा।

वस्तु जब तक कि पूर्वव्यापी न हो। एक व्याख्यात्मक अधिनियम है

आम तौर पर एक स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने के लिए पारित किया जाता है या

पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करना। यह.

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल

पिछले कानून पूर्वव्यापी संचालन एम/एस की घोषणात्मक।

कि संशोधन अधिनियम घोषणात्मक है, इसका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जब पूर्व-संशोधित प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध था। एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से स्पष्टीकरणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था। इस प्रकार के स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इसलिए, यदि मूल अधिनियम मौजूदा कानून था जिसे संविधान लागू किया गया था, तो संशोधन अधिनियम भी होगा - मौजूदा कानून का हिस्सा।

उपरोक्त सारांश तथ्यात्मक रूप से इस न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ अंग्रेजी निर्णयों पर आधारित है।

पैराग्राफ 30 में टिप्पणियों को पढ़ने और पैराग्राफ 32 के साथ जोड़ने पर, यह स्पष्ट है कि किसी कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता यह दिखाना है कि पिछले कानून में कोई चूक या अस्पष्टता थी या इसका उद्देश्य पहले के अधिनियम की व्याख्या करना था। उपरोक्त अवयवों के अभाव में, किसी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव वाला नहीं माना जा सकता है। 31. इंडसइंड बैंक (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह जांच करते हुए कि क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में संशोधन किया गया है

संभावित या पूर्वव्यापी था, यह नोट किया गया है कि उक्त प्रावधान प्रकृति में उपचारात्मक है और स्पष्टीकरणात्मक नहीं है, क्योंकि संशोधन से पहले, अर्जित अधिकारों और देनदारियों को छीनने की मांग की गई थी। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 24 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 24. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 28, मूल कानून होने के नाते, संभावित रूप से संचालित होती है, जैसे - पूर्वव्यापीता को इसकी भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बनाया गया है। धारा 28 (बी) द्वारा कवर किए गए कुछ समझौतों को पहली बार अमान्य करके, प्रकृति में उपचारात्मक होने के कारण, और कानून का स्पष्टीकरण या घोषणात्मक नहीं होने के कारण, यह स्पष्ट है कि अधिकार और

देनदारियाँ जो पहले से ही इसके परिणामस्वरूप अर्जित हो चुकी हैं

पक्षों के बीच किए गए समझौतों को हटाने की कोशिश की जाती है। यह मामला होने के कारण, हमारा विचार है कि एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि

संशोधित धारा 28 लागू होगी। "

हम प्रत्यर्थी के साथ सहमत हैं कि यह निर्णय संशोधन, डी. टी. ए. बिक्री से पहले के वर्तमान मामले पर लागू होता है।

अपीलार्थी द्वारा लगाए गए दायित्व पहले ही निर्धारित प्रभार दर पर आकर्षित कर चुके हैं, जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों में विषय संशोधन के संदर्भ में पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। 32. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का विज्ञापन करना यहां प्रासंगिक है।

चांद श्री गोपाल और अन्य "। , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छूट खंड का कड़ाई से अर्थ उसमें प्रयुक्त भाषा के अनुसार लगाया जाना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता के मामले में, लाभ राज्य को जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 29 और 30 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

इसके नीचेः

" 29. कानून अच्छी तरह से तय है कि एक व्यक्ति जो छूट का दावा करता है

या रियायत को यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट या रियायत का हकदार है। छूट, रियायत या अपवाद, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने वाले प्रावधान का कुछ अपवादों के साथ सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि

कानून और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य में प्रावधान रखा गया है। यदि इसका पालन करने पर छूट उपलब्ध है

कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उन शर्तों की अनिवार्य आवश्यकताएँ होनी चाहिए

छूट। 30. नोवोपैन इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति,

उसे छूट देने के लिए एक अपवाद या छूट प्रावधान

कर देयता को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधानों के दायरे में आता है और संदेह या अस्पष्टता के मामले में इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। हंसराज गोरधनदास बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। सी. सी. ई. और सीमा शुल्क ने अभिनिर्धारित किया कि (नोवोपैन इंडिया लिमिटेड मामला, एस. सी. सी. पी. 614 , पैरा 16)

" 16. ..... ऐसी अधिसूचना की व्याख्या में की जानी चाहिए उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रकाश और किसी अन्य आधार पर नहीं। यह सिद्धांत के संदर्भ में आयोजित किया गया था

17 1 7 (2011) 1 एस. सी. सी. 236 एम/एस.

कि एक कर कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए किया जाना चाहिए और यह कि मामला शासित होना चाहिए

पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा से यानी छूट की साधारण शर्तों से। "

वर्तमान मामले में पूर्व उद्धृत उक्ति को लागू करते हुए, अपीलार्थी एक्जिम नीति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था,

उल्लिखित अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए; और ऐसा करने में विफलता, उन्हें इस तरह से दी गई छूट से वंचित करना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि छूट अधिसूचना के तहत निर्धारित शुल्क दर प्रश्नगत है, इसलिए संशोधन के आवेदन की तारीख के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को अनिवार्य रूप से राज्य के पक्ष में समझा जाना चाहिए, जब तक कि न्यायिक रूप से स्वीकार्य मापदंडों द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया जाता है।

33. अपीलार्थी का अगला तर्क यह है कि 1962 के अधिनियम की धारा 28 को सीमा बढ़ाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि

अपीलार्थी की ओर से जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन। अपीलार्थी ने यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय पर निर्णय पर भरोसा किया है। यही बात उन स्थितियों की व्याख्या करती है जिनमें 1962 के अधिनियम की धारा 28 को लागू किया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल जानबूझकर चूक के मामलों में और अनजाने में भुगतान न करने के मामलों में। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दुर्भावनापूर्ण आचरण साबित करने का भार राजस्व पर है और इस संबंध में विशिष्ट अभिकथनों को कारण दर्शाओ नोटिस में जगह मिलनी चाहिए।

34. वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में, अपीलार्थी था

शुल्क के भुगतान से बचने के लिए डी. टी. ए. द्वारा कटे हुए फूलों की बिक्री को दबाने का उल्लेख करते हुए एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया। यदि अपीलार्थी को सद्भावना से विश्वास होता कि कटे हुए फूलों की डी. टी. ए. बिक्री पर कोई शुल्क देय नहीं है, तो उसने विकास आयुक्त से पूर्व अनुमोदन माँगा होता, जो वह करने में विफल रहा। यहां तक कि पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की मांग करने वाले पत्र में भी, अपीलार्थी ने दावा किया कि उन्होंने आयातित ग्रीन हाउस उपकरण, लाइव जैसे कच्चे माल के बावजूद डी. टी. ए. में बेचे जाने वाले फूलों को उगाने में उर्वरक, पादप विकास विनियमों आदि जैसे किसी भी आयातित निवेश का उपयोग नहीं किया है।

गुलाब के पौधे और उपभोग्य वस्तुएँ जैसे रोपण सामग्री और उर्वरक। इसलिए, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा दमन "जानबूझकर" किया गया था। इसके विपरीत साबित करने का भार अपीलार्थी पर था, जिसे अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहा कि आयातित निवेश का उपयोग कटे हुए फूलों के उत्पादन में नहीं किया गया था 1074

डी. टी. ए. में बेचा गया। इसे ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए अधिकारियों ने 1962 के अधिनियम की धारा 28 और संबद्ध प्रावधानों को उचित रूप से लागू किया है।

35. पूर्वगामी चर्चा और टिप्पणियों के आलोक में, हम हैं

यह विचार कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने सीमा शुल्क लगाने को उचित रूप से बरकरार रखा है।

36. इसलिए यह याचिका खारिज की जानी चाहिए। ऐसा ही है।

बी.

आदेश दिया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाया जाएगा।

अंकित ज्ञान